

प्रेस नोट थाना- लाइन बाजार, जनपद जौनपुर कबीरमठ की जमीन से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05.11.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, श्री जितेन्द्र कुमार दुबे क्षेत्राधिकारी नगर जौनपुर के कुशल निर्देशन, प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार मिश्रा थाना लाइन बाजार के मार्गदर्शन में, मै 30नि0 शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह का० कुलदीप मौर्या व कोबरा मोबाइल नं०.8 ए के कर्मचारीगण का० नीरज कुमार का० हिमांशु राव के साथ के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि **कबीरमठ की जमीन के सम्बन्ध पंजीकृत मु०अ०सं० 202/2021 धारा 419/420/467/468/471 भा०द०वि० में वांछित** अभियुक्त छबिलेपुर - लखनपुर में अपनी दुकान पर मौजूद है। यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। कि उक्त सूचना पर विश्वास करके मय हमराही व मुखबीर के साथ अभियुक्त के दुकान छबिलेपुर – लखनपुर से कुछ दुर पहले मुखबिरखास ने उस व्यक्ति के तरफ इसारा कर के हट बढ़ गया हम पुलिस वालो द्वारा एक बारगी दबिश देकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। नाम पता पुछने पर अपना नाम **जितेन्द्र मौर्या उर्फ जितू पुत्र वासदेव मौर्या नि०—ककोरगहना, थाना—सरायखाजा, जनपद—जौनपुर उम्र करीब 33 वर्ष** बता रहा है जो कि थाना स्थानीय के सम्बन्धित मु०अ०सं० 202/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि के नामजद अभियुक्त है कि उक्त व्यक्ति को गिरफ्तारी कारण बताते हुये पुर्ण विश्वास हो जाने पर समय 11.30 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त जितेन्द्र मौर्या उर्फ जितू उपरोक्त को मा०न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- जितेन्द्र मौर्या उर्फ जितू पुत्र वासदेव मौर्या नि०—ककोरगहना, थाना—सरायखाजा, जनपद—जौनपुर ।



आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 202/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि

गिरफ्तारी टीम:-

- 1- 30नि0 शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, थाना- लाइनबाजार, जौनपुर ।
- 2- का० कुलदीप मौर्या, थाना लाइनबाजार, जौनपुर ।
- 3- का० नीरज कुमार, थाना लाइनबाजार जौनपुर ।
- 4- का० नीतेश कुमार, थाना लाइनबाजार, जौनपुर ।